संख्या–2625/XVIII-(2)/18-15(15)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्ध अनुभाग–1, **देहरादूनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2018**

विषयः– **राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राज्य अन्तर्गत संचालित** "Sustainable Reduction of Disaster Risk in 10 Multi Hazard prone Districts of five States in India (SRDR)" **परियोजना हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–712/DMMC/XIV-528(2016) दिनांक 17.09.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–05/45/2016/NDMA/CBT/8494 दिनांक 06.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राज्य अंतर्गत संचालित "Sustainable Reduction of Disaster Risk in 10 Multi Hazard prone Districts of five States in India (SRDR)" परियोजना संचालन हेतु तृतीय किस्त के रूप में रू0 20,92,744.00/–(रू0 बीस लाख बयानवें हजार सात सौ चव्वालिस मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2– राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 22.09.2016 के अपने आदेश के माध्यम से धनराशि रू0 99,08,000.00 की योजना लागत के सापेक्ष योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार को प्रथम किस्त के रूप में रू0 39,63,200.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसे शासनादेश संख्या–1740, दिनांक 04.08.2016 के द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृत किया जा चुका है, तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0डी0एम0ए0, भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.01.2018 के द्वारा राज्य सरकार को द्वितीय किस्त के रूप में रू0 29,72,400.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसे शासनादेश संख्या–81, दिनांक 24.01.2018 के द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृत किया जा चुका है।

3 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना हेतु एन0डी0एम0ए0, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.09.2018 के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 20,92,744.00/–(रू0 बीस लाख बयानवें हजार सात सौ चव्वालिस मात्र) को आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु एवं आहरित कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0ए0, उत्तरकाशी एवं चमोली को व्यय किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(2) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन का समर्पित कर दिया जायेगा।

(3) योजना का संचालन डी0डी0एम0ए0 उत्तरकाशी एवं चमोली द्वारा किया जायेगा।

(4) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन योजना के कियान्वयन हेतु सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) व्यय करते समय बजट मैनुअल॰ वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर उपयोगित प्रमाण पत्र शासन का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाए और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह दिनों 31.03.2019 तक अथवा उससे पूर्व शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 208–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–102–विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्धन–01–केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजना–0106–भारत सरकार द्वारा सहायतित आपदा प्रबन्धन विषयक विभिन्न योजनाएं–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519/3/(150)/-2017/XXVII(1)/2018,दिनांक 02,अप्रैल, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– ( )/XVIII-(2)/18-15(15)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0ए0, उत्तरकाशी/चमोली।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली।
6– वित्त अनुभाग–1/5,उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव